

कार्यालय ज्ञाप

पंजीकृत फर्मों/वाहन एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं भौतिक सत्यापन के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भ्रमण के लिए किराये पर वाहन की आवश्यकता है। जिसके लिए प्रत्येक माह में वाहन प्रयोग हेतु अधिकतम धनराशि ₹0 25,000.00 (₹0 पचीस हजार मात्र) से अधिक व्यय नहीं होगी, जिसमें वाहन किराया एवं पी0ओ0एल0 आदि समस्त व्यय सम्मिलित है। इच्छुक वाहन स्वामी फर्म/सेवा प्रदाता सीलबन्द कोटेशन दिनांक 05.08.2020 अपरान्ह 12:00 बजे तक कार्यालय में स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 05.08.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे समिति के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक कोटेशन दाता/प्रतिनिधि उक्त समय उपस्थित रह सकते हैं। कोटेशन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या में निहित होगा।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
अयोध्या।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या।

पत्रांक ५५ / पि0व0क0 / विज्ञप्ति / 2019-20 दिनांक 05-8-2020

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
3. जिला सूचना अधिकारी, अयोध्या को 05 प्रतियों में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) विकास भवन अयोध्या को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अयोध्या को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड/कलेक्ट्रेट नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

Diopic
website पर प्रकाशन
857
मुख्य विकास अधिकारी
अयोध्या
13-8-2020



Jay Prakash
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
अयोध्या।